न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 18 / 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 श्रवण कुमार पुत्र भूदरमल।
2 भागीरथमल पुत्र भूदरमल।
3 पुरूषोतम पुत्र नन्दलाल।
4 छोटू पुत्र नन्दलाल समस्त जाति ब्रहाम्ण निवासीगण मिश्रो का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अनुसूर्या पत्नी कालूराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मोरी गेट लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 मन्जू देवी पत्नी छगनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी दाडून्दा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
3 मीनू पुत्री नन्दलाल।
4 सन्तोष पुत्री नन्दलाल।
5 ममता पुत्री नन्दलाल।
6 सुशीला देवी पत्नी ओमप्रकाश समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण मिश्रो का मोहल्ला कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
7 पटवारी हल्का कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
8 तहसीलदार महोदय फतेहपुर बहैसियत भू–धारक।
9 उप पंजियक महोदय, फतेहपुर।
10 नगर पालिका रामगढ़ जरिये चेयरमैन।
11 जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।

रेस्पोडेंट

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय फतेहपुर
अनुवानी प्रकरण अनुसूया बनाम श्रवण कुमार आदि
मुकदमा नम्बर 6/2013 दावा उदघोषणा एवं स्थाई
निषेधाज्ञा अपील अन्तर्गत धारा 223 रा. टि. एक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 623 तन कस्बा फतेहपुर बाबत वाद उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर 1/5 हिस्से की खातेदारी की उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 05 छोटू की तामील सम्यक नही हुई है। अपीलांट को जवाब का अवसर नही मिला है आदेशिका दिनांक 24.05.16

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

में साक्ष्य वादी, प्रतिवादी बिना कोई अवसर दिये बन्द कर उसी दिन बहस सुनी जाकर निर्णय पारित कर दिया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। निर्णय तनकीवार पारित नही किया गया है। निर्णय में दस्तावेजों का विवेचन नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णत विधि विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाद पत्र में अंकित सजरे अनुसार प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। भाईयों ने अकेले ही अपने नाम नामान्तकरण करवा लिया है। राजस्व रिकार्ड से भूमि पैतृक होने से पुत्री का हिस्सा साबित है। बेचान अवैध है प्रभाव शून्य है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 04.09.2015 से 23.05.2016 तक साक्ष्य वादी में चल रही थी। दिनांक 23.05.2016 को वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पत्रावली 24.05.2016 को नियत की गई। दिनांक 24.05.2016 को आदेशिका में अंकन है कि वकुलाय फरिकेन उपस्थित प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 का जवाब पेश नही कर वादी बहस करना चाहते है। बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रकरण को विलम्बित करने की गरज से पेश किया है। जो खारिज किया जाता है। साक्ष्य हेतु उभयपक्ष को अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पूर्ण नही की है। अत साक्ष्य बन्द की जाती है। बहस वकुलाय फरिकेन सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 25.05.2016 को पेश हो। इसके उपरान्त दिनांक 25.05.2016 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का एक भी अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय व डिक्री राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर